कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा।

Recruitment Notice

विज्ञापन सं0– 03/2025

अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 106(HSN) दिनांक 14.11.2025 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सदर अस्पताल, जामताड़ा अंतर्गत आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत बीमा योजना से अधिकतम Claim की राशि (उपार्जित राशि) से मानदेय पर अनुबंध आधारित Pathologist की नियुक्ति के निमित निम्न रूप में विज्ञापन प्रकाशित की जाती है :–

S. No.	Post Name	Eligibility	Location	Position	Age Limit as on 1st March 2025	Remuneration per month (in Rs.)
1	Pathologist	**Essential Qualification :** MBBS degree with Post Graduate degree/ diploma from any Medical Council of India recognized institutions in Pathologist or equivalent.	District. HQ	01	21 Years to 70 Years	1,05,000/-

विज्ञापन की शर्त्ते :–

1. यह पद पूर्णतः आवश्यकता आधारित है तथा मानदेय के आधार पर चिकित्सक को कोई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिए अनुबंधित किया जायेगा। तीन माह उपरान्त कार्य की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। भविष्य में चिकित्सक द्वारा नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
2. चयनित अभ्यार्थीयों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन तीन माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराया जायेगा। गलत पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
3. संविदा के आधार पर अनुबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. वैसे आवेदक जो सरकारी सेवा मे थे या नही थे एवं उनका उम्र 65 से अधिक है वे अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सलग्न करेगे।
5. जो अभ्यार्थी शैक्षाणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे है वो मार्कशीट के साथ – साथ CGPA रूपातरण चार्ट भी प्रस्तुत करेगें।
6. जिला चयन समिति आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में आवश्यक संशोधन कर सकती है एवं विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
7. जिला चयन समिति द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रकिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति प्रकिया में झारखण्ड सरकार द्वारा लागु की गई आरक्षण निति का पालन किया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी अभ्यार्थी यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा निर्गत की गई जाति प्रमाण संलग्न करेंगे।
9. विज्ञापन का प्रारूप jamtara.nic.in पर देखा जा सकता है तथा आवेदन प्रपत्र भी Download किया जा सकता है।
10. नियुक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्तिगत पत्राचार मान्य नहीं होगा।
11. अभ्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा/अंतर्वीक्षा करने हेतु समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. इच्छुक अभ्यार्थी/चिकित्सक का चयन Walk-in-Interview के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जायेगा। Walk-in-Interview सिविल सर्जन, जामताड़ा के सभागार में आयोजित होगा। अभ्यार्थी विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति, छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

27/12/25

सिविल सर्जन–सह–सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जामताड़ा।